उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्री ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस. किशनगढबास

दावा सं.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
34/19	26.8.19	22.9.21

उनवान

1.श्रीमती मैमकोर पत्नि श्रीमान धर्मपाल साल जाति जाट निवासी ग्राम बम्बोरा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0

बनाम

1.राजस्थान राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब(लैण्ड होल्डर)
2.श्रीमान जिलाधीश महोदय अलवर राज0
3.श्रीमान व्यवस्थापक बैंक शाखा बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा किशनगढबास जिला अलवर राज0।

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

1.श्री रतिराम चौधरी वकील वादीया की ओर से।
2.प्रतिवादी की ओर से जवाबदाव पेश ।

:–निर्णय:–

दावे के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार है:–

वादिया ने वाद पेश किया है कि आराजी खसरा नंबर हाल 712 रकबा 0.2300 हे0 किस्म चाही स्थित वाके ग्राम तहनोली पटवार हल्का गंज तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0 वादीया की खरीदशुदा खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी हैं। बवक्त खरीद से आज तक वादीया आराजी उक्त पर शान्तिपूर्वक काबिज व दखील होकर काश्त करती चली आ रही हैं। वर्तमान में वादीया ने रबी मौसम की फसल गेहूँ मौका पर बोई हुई हैं। अन्य किसी भी व्यक्ति का उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध सरोकार वास्ता नहीं हैं। जो आराजी खसरा नंबर 712/0.2300 हे0 मौजूदा वाद में विवादित आराजी कहलायेगी । नकल जमाबंदी संवत् 2074–77 संलग्न वाद पत्र हैं।

अतः प्रार्थना हैं कि बाद तहकीकात वाद वादीया निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावें :–

(अ)– ———— यह हैं कि वादीया विवादित आराजी खसरा नंबर 712 रकबा 0.2300 हे0 ग्राम तहनोली हल्का पटवार मण्डल गंज तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0 की जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीदशुदा खातेदार हैं। नामान्तकरण संख्या 929 दिनांक 08/07/2013 बाबत खातेदारी वादीया दर्ज व स्वीकृत हैं, बवक्त खरीद से आज तक तन्हा रूप से काबिज व दखील हैं, मौके पर कब्जा काश्त हैं। अन्य व्यक्ति गैरवास्ता

Scanned with CamScanner

गैरकाबिज हैं डिक्री वाद वादीया इश्तकार हक व दुरूस्थी इन्द्राज फरमाया जावे ।

———— यह है कि वर्तमान जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी बाबत आराजी मुतनाजा खसरा नंबर 712 रकबा 0.2300 हे0 वाके ग्राम तहनोली तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0 में जो ईशरसिंह पुत्र नानकचन्द जाट पंजाबी सा.देह शिकमी साल 3 गलत दर्ज हुआ हैं, विधि विरूद्ध व खिलाफ मौका व कब्जा गलत दर्ज हैं । जो वादीया के विधिक अधिकारों के विरूद्ध हैं, काबिल दुरूस्ती हैं, कलमजन किये जाने योग्य हैं। बातिल व बेअसर करार दिया जाकर वाद वादीया विरूद्ध प्रतिवादी दुरूस्ती इन्द्राज कर डिक्री फरमाया जावें ।

(स)———— खर्चा मुकदमा का वादीया को दिलाया जावें। दीगर न्यायोचित दादरसी जो अदालत जो अदालत श्रीमान् उचित समझें। अतः फरमायी जावें।

दावा प्रस्तुत होने पद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादीं स.1,2 ने दावा को स्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश किया। वादी साक्ष्य पूर्ण होने पर वकील वादी की बहस सुनी गयी। वकील वादी ने वाद में अकित तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि आराजी ख0न0 712 रकबा 0.23 हे0 को वादियां मैमकोर पत्नी धर्मपाल जाट निवासी ग्राम बम्बोरा ने पूर्व खातेदारान विक्रेतागण शिशपाल,चरणजीत पुत्रान प्रीतमलाल तथा नरेश, रमेश पुत्रान बलदेवराज जाति जाट पंजाबी तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0 से प्रतिफल राशि अदाकर बाकब्जा दिनांक 17.5.2007 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद की हुई है। जिस बयनामा के आधार पर खरीददार वादीया का नामान्तकरण संख्या 929 दिनांक 8.7.2013 को ग्राम पंचायत की बैठक में दर्ज व मन्जूर हो चुका है तथा जमाबंदी हाल 2074 से 2077 में वादीया के नाम का इन्द्राज बतौर खातेदार दर्ज चला आ रहा है। हल्का पटवारी को मुताबिक इंतकाल के जमाबंदी में इन्द्राज करना चाहिए था लेकिन जामाबंदी चौसाला दर्ज व कायम करते समय वादीया की खातेदारी दर्ज करते समय गलत इन्द्राज ईशरसिंह पुत्र नानकचंद जाट पंजाबी साकिन देह शिकमी साल 3 दर्ज कर दिया जो कतई गलत है। खिलाफ मौका व खिलाफ कब्जा है, ईशरसिंह पुत्र नानकचन्द जाति जाट पंजाबी का मरे हुए करीब 15–16 साथ हो चुके है। ईशवर सिंह ने ना तो कभी काश्त की थी ओर नाही कभी आराजी उक्त पर कब्जा रहा। मृतक ईशरसिंह पुत्र नानकचंद जाट का बतोर शिकमी साल 3 दर्ज हुआ है काबिल दुरूस्ती है कलमजन किये जाने योग्य है।। ईशरसिंह मृतक के इस गलत शिकमी साल 3 के इन्द्राजत के आधार पर पर तत्कालीन खातेदारान शशिपाल वगै0 के खिलाफ आदालत श्रीमन में वाद दायर किया गया था। जो गलत आधार पर डिक्री फरमाये जाने से निर्णय दिनांक 08.01.2002 के विरूद्ध एक अपील अदालत श्रीमान भू–प्रबधक एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर के यहां शशिपाल आदि बनाम ईशरसिंह व उसके वारिसान सं0 के खिलाफ दायर की गयी जो अपील सं0 3/2002 अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास का निर्णय व डिक्री दिनांक 08.01.2002 को निरस्त किया गया है। जिसकी फोटोप्रति संलग्न वाद पत्र है। अपील अधिकारी अलवर ने अपने निर्णय में स्पष्ट लिखा है कि शिकमी शब्द का कोई महत्व ही नही है। इसलिए शिकमी साल 3 जो

Scanned with CamScanner

अलवर मृतक के नाम इन्द्राज वर्तमान जामाबदी व खसरा गिरदावरी में हो रहा हैं कलमजन योग्य है कलमजन किया जावे। वाद वादीया बाबत दुरूस्ती इन्द्राज डिक्री फरमाया जावे।

वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात एवं जमाबंदीयात से साबित होता है कि आराजी ख0न0 712 रकबा 0.23 हे0 वाके ग्राम तहनोली तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0 में जो ईशरसिंह पुत्र नानकचन्द जाति जाट सा0 देह शिकमी साल 3 गलत दर्ज हो रहा है उसे कलमजन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि :–

वाद वादिया बहक वादिया विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर आदेशित किया जाता है कि आराजी ख0न0 आराजी ख0न0 712 रकबा 0.23 हे0 वाके ग्राम तहनोली तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0 में जो ईशरसिंह पुत्र नानकचन्द जाति जाट सा0 देह शिकमी साल 3 गलत दर्ज हो रहा है उसे कलमजन किया जावे। तदनानुसार ही बाद दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड मं अमल दरामद हो। खर्चा वाद वादीया स्वंय वहन करेंगें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो निणर्य टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)

Scanned with CamScanner